



नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskruti.com

Journal of Oral Rehabilitation 2003 30: 1033–1040 © 2003 Blackwell Publishing Ltd

हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी तक: पान मसाला-सिगरेट पर नया सेस पास, अब देश की सुरक्षा में खर्च होगा टैक्स का पैसा

नई दिल्ली की लोकसभा में शुक्रवार का दिन उस नए बदलाव का साक्षी बना, जिसने पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक ही धारे में पिरो दिया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास होने के साथ ही देश में बिकने वाले पान मसाला, सिगरेट और अन्य हानिकारक उत्पादों पर एक नया उपकर लगाया जाएगा, जिसका पूरा फंड सेना की तैयारियों, आधुनिक युद्ध उपकरणों और बड़े पैमाने पर चलने वाली स्वास्थ्य योजनाओं में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के समय देश की सेना 70-80% हथियारों और उपकरणों की कमी से जूझ रही थी। बजट की कमी ने उस समय की तैयारियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त रहना चाहती है कि भविष्य में जब भी देश कठिन समय से गुजरे, संसाधनों की बाधा सेना के कदम न रोक पाए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपकर केवल उन वस्तुओं पर लगाया जाएगा जो सीधे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, ताकि जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आए और फिर भी देश को जरूरी संसाधन मिल सकें। पान मसाला और सिगरेट जैसी वस्तुएँ पहले ही ऊंचे टैक्स दायरे में हैं, और अब 40% जीएसटी के ऊपर एक अतिरिक्त स्वास्थ्य-राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे दो बड़े लक्ष्य पूरे होंगे—एक, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और दूसरा, आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के लिए एक स्थिर और सुनिश्चित फंडिंग व्यवस्था। लेकिन लोकसभा में यह फैसला इतना सुआम नहीं रहा। विपक्षी सांसद हनुमान

A collage of three images. The first image on the left shows a woman with glasses and a sari, looking towards the camera. The second image in the middle shows a stack of colorful boxes, likely food products, with one box prominently displaying the word 'विदाई' (Vidai). The third image on the right is a close-up of a sandwich wrapped in white paper, showing the filling of bread and meat.

बेनीवाल ने पान मसाला महंगा करने की सरकारी नीति पर सवाल उठाया और कहा कि जब बड़े-बड़े सेलेब्रिटी इन उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं, तब सरकार उन विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेथिल ने इसे जटिल बिल बताते हुए कहा कि इसके कुछ क्लॉज मनी लॉन्चिंग कानूनों जैसे दिखाई देते हैं। बहस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो टूक रहीं—उन्होंने कहा कि मॉर्डन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम, साइबर डिफेंस, और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस आज की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा हैं। ऑपरेशन सिंह और मिशन सुदर्शन चक्र के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य व लड़ाइयाँ सिर्फ़ साहस से नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से जीती जाएँ और यह तकनीक तभी संभव है जो फॉडिंग मजबूत हो।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन वस्तुओं को महंगा कर रही है जो स्वयं देश को स्वास्थ्य के मार्चे पर कमज़ार बनाती हैं। इनकम टैक्स में की गई छूट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिक पर बोझ न पड़े यह सरकार की प्राथमिकता है, और यही वजह है कि सेस केवल डिमेरिट गुड्स पर ही लगाया जा रहा है। कुछ सदस्यों द्वारा यह सवाल उठाने पर कि रक्षा बजट पान मसाले के टैक्स पर क्यों निर्भर होना चाहिए, वित्त मंत्री ने कहा कि किसी वित्त मंत्री का पहला दायित्व संसाधन जुटाना होता है—और यह उपकर उसी दिशा का कदम है। यह बिल कानून बनते ही देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर प्रत्यक्ष असर डालेगा। भारत पहले ही तंबाकू से जुड़े खतरों का सबसे बड़ा भुगतान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल भारत में 10 लाख

यादा लोग सिगरेट के कारण समय हले मौत का शिकार हो जाते हैं। अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाली जोड़ दें तो यह आंकड़ा बढ़कर ग 13.5 लाख हो जाता है। तंबाकू ने वाली मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, उन परिवारों की कहानियाँ हैं जो देन अपने किसी सदस्य को खो देते थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन की एक नों के अनुसार, हर सिगरेट जीवन के अंग 20 मिनट कम कर देती है। दस तक रोज 10 सिगरेट पीने वाला त अपनी जिंदगी के 500 दिन धुएँ डा देता है। भारत में आज 25.3 लोग तंबाकू का सेवन करते 20 करोड़ पुरुष और 5.3 करोड़ नाएँ। दुनिया में चीन के बाद तंबाकू 1 में भारत दूसरे स्थान पर है। ऐस ग उपकर सिर्फ सुरक्षा के लिए जुटाने का तरीका नहीं, बल्कि एक अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य सुधार नीति भी है जो इन उत्पादों को महंगा बनाकर उनकी खपत को घटाएगी। लोकसभा में हुई लंबी बहस और मत्रियों की स्पष्टता के बावजूद देशभर में अब चर्चा इस बात पर है कि क्या यह कदम तंबाकू की लत पर लगाम लगाएगा, क्या यह स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक स्थायी समाधान बनेगा, और क्या इस उपकर से सेना की आधुनिक जरूरतें पूरी होंगी। फिलहाल इतना तय है कि संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें पहली बार किसी टैक्स को सीधे देश की सुरक्षा से जोड़ा गया है—और आने वाले वर्षों में इसका असर टेबल के दोनों सिरों पर देखने को मिलेगा: एक तरफ सैनिकों की ढाल मजबूत होगी, दूसरी तरफ जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएँ धीरे-धीरे महंगी होकर पीछे हटेंगी।

18 गुना बढ़ा यूपी का रेल बजट: रेलमंत्री का दावा, मोदी सरकार ने प्रदेश में रेलवे विकास की रफ्तार बदल दी



जैसे कई प्रोजेक्ट पहले की तुलना में कहीं तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का ढांचा मजबूत होने से न केवल उत्तर प्रदेश के शहर आपस में और अधिक सुगमता से जुड़ पाएंगे, बल्कि माल परिवहन भी सरल और तेज होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नकाल के दौरान बलिया और बक्सर की परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि बलिया जिले से फिलहाल 82 ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा विस्तार है। बलिया रेलवे स्टेशन को



रहा है, जिसमें भोजपुरी संस्कृति और स्थानीय धरोहर को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। इसी तरह, बक्सर में भी स्टेशन को पौराणिक स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामायण संकित पर यात्रा करने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को स्टेशन के डिजाइन में विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है।

कुशीनगर से जुड़े सवाल पर रेल मंत्री ने बताया कि यह बौद्ध पर्यटन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहां कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी और पूवांचल के अन्य जिलों से संबंधित मुद्दों पर भी उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार के लिए भी अनेक परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और रेलवे की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधिक उपकरणों, सुरक्षा

तंत्र और लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के सैकड़ों स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसमें वेटिंग लाउंज, लिफ्ट्स, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल डिस्प्ले, पॉडियम, स्टाइल भवन संरचना और हर यात्री के लिए सुगम पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंत्री ने दावा किया कि नई तकनीक हाई-स्पीड रेल, सेमी-हाई-स्पीड कॉरिडोर और फ्रेट नेटवर्क को विस्तार देने के साथ भारीय रेलवे अपनी सबसे तेज संक्रमण प्रक्रिया से गुजर रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दशभर के शासन में उत्तर प्रदेश के रेल निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जितनी वृद्धि दर्ज की गई है, उतनी वृद्धि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। रेल मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे केवल यात्रियों के अनुभव को बदल देगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी न गति देगा।

इंडिगो संकट
पायलटों व
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइ
इंडिगो में जारी परिचालन संकट के बीच
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
पायलटों की उड़ान इयूटी समय सीमा
(एफडीटीएल) के नियमों में संशोधन बताया है। नए नियंत्रणों के तहत अब पायलट
को साप्ताहिक छुट्टी देने के बजाय अनिवार्य
साप्ताहिक विश्राम अवधि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी थकान कम हो और उड़ान संचालन में सुरक्षा बढ़ाई जा सके। डीजीसीए का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब इंडिगो सहित कई एयरलाइंसों में कूप की कमी, रोस्टर के दबाव और नियमों की कठोरताओं के कारण उड़ानों में लगातार देरी और रद्दीकरण बढ़ रहे हैं। जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि हालिया संकट की पृष्ठभूमि में नई एफडीटीएल गाइडलाइंस की सख्ती एक बड़ा कारण रही है, जिसने एयरलाइंसों, विशेषकर इंडिगो, पर जबरदस्त दबाव डाला। नियमों के अनुसार पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे की गई थी, रात की परिमाणा को 00:00 से 05:00 तक तक्का 20:00 से 21:00 तक तक्का

इंडिगो संकट के बीच बड़ा फैसला पायलटों को अब मिलेगा अर्थ

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी परिचालन संकट के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पायलटों की उड़ान इयूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के नियमों में संशोधन कर दिया है। नए नियमों के तहत अब पायलटों को साप्ताहिक छुट्टी देने के बजाय अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम अवधि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी थकान कम हो और उड़ान संचालन में सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

डीजीसीए का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिगो सहित कई एयरलाइनों में क्रू की कमी, रोस्टर के दबाव और नए नियमों की कठोरताओं के कारण उड़ानों में लगातार देरी और रक्षीकरण बढ़ रहे थे, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि हालिया संकट की पृष्ठभूमि में नई एफडीटीएल गाइडलाइंस की सख्ती एक बड़ा कारण रही है, जिसने एयरलाइनों, विशेषकर इंडिगो, पर जबरदस्त दबाव डाला। नियमों के अनुसार पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे की गई थी, रात की परिभाषा को 00:00 से 05:00 तक तक 22:00 से 06:00 तक तक

गया, एक सप्ताह में रात की लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर केवल 2 की गई और लगातार दो से अधिक रात इयूटी पर रोक लगा दी गई। एयरलाइनों का तर्क था कि सुरक्षा के अनुरूप ये मानक तो आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें अचानक लागू किए जाने के चलते रोस्टर तैयार करना अत्यंत कठिन हो गया। परिणामस्वरूप उड़ानों की समय-सारणी बिगड़ने लागी और हवाई यात्रायात में अप्रत्याशित अव्यवस्था पैदा हो गई।

एयरलाइन कंपनियों ने डीजीसीए को दिए गए अपने अभ्यावेदन में आग्रह किया था कि नियमों में थोड़ी ढील या चरणबद्ध व्यवस्था आवश्यक है, ताकि मौजूदा व्यवधानों का समाधान किया जा सके। पायलटों और क्रू ने इसका समर्त्तन कर दिया है, जिससे

लाला: DGCA ने बदले नियम, सेवार्य साप्ताहिक विश्राम

से काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि नए दिशा-निर्देश उसके परिचालन को संतुलित करने में मदद करेंगे और पायलटों पर बढ़ते तनाव को भी कम किया जा सकेगा। संशोधित गाइडलाइंस जारी करते हुए डीजीसीए ने पायलटों से भी सहयोग की अपील की है। नियामक का मानना है कि पर्याप्त विश्राम उड़ान सुरक्षा की रीढ़ है और इसे किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं किया जा सकता। साथ ही एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिचालन को इस तरह संतुलित करें कि न केवल पायलटों को आवश्यक विश्राम मिले, बल्कि यात्रियों को भी न्यूनतम असुविधा हो। डीजीसीए का विश्वास है कि बदले हुए नियम और एयरलाइनों तथा पायलटों के बीच सामंजस्य आने वाले दिनों में उड़ान संचालन को स्थिरता प्रदान करेंगे। देश के उड्डयन क्षेत्र में यह बदलाव उस समय आया है जब बढ़ती मांग, सीमित पायलटों की संख्या और जटिल परिचालन स्थितियाँ पूरे उद्योग के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। ऐसे में डीजीसीए की यह पहल सुरक्षा, दक्षता और यात्री सुविधा—तीनों मर्चें पर सुधार लाने की दिशा में निर्णायक कदम आयी जा सकती है।

इंडिगो संकट के बीच बड़ा फैसला: DGCA ने बदले नियम, पायलटों को अब मिलेगा अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम

भारत में हवाई किरायों का ऐसा उछाल कि
आसमान भी शर्माए—6 हजार वाला टिकट 50
हजार रुपये, जोड़ेवाले उदाहरणें तंत्र ऐसिया से मुदांगी

‘मदर मैरी कम्स टू मी’ पर रोक की मांग
अस्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—यह
याचिका सिर्फ पब्लिसिटी का प्रयास

